

फा.सं.—इग्नू/देवघर/बी.एड. 2014/2014/
दिनांक : 05/02/2014

विषय — इग्नू बी.एड. पाठ्यक्रम जनवरी 2014 सत्र में तृतीय काउंसलिंग के माध्यम से उपलब्ध स्थानों को भरने हेतु।

प्रिय अभ्यर्थी,

इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, देवघर बी.एड. पाठ्यक्रम जनवरी 2014 सत्र के लिए उपलब्ध स्थानों हेतु तृतीय काउंसलिंग निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कराने जा रहा है :-

दिनांक	समय	स्थान	टिप्पणी
17 फरवरी 2014	10.00 पूर्वाह्न	इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, मंदाकिनी सदन, बसुवाडीह, रोहिनी रोड, जसीडीह, देवघर-814142	1. प्रवेश हेतु बुलावा पूर्णतः औपबंधिक (Provisional) है व सीटों की उपलब्धता तथा अंतिम जाँच (scrutiny) पर निर्भर करेगा। दस्तावेजों एवं ड्राफ्ट को जमा करने मात्र से प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। 2. अभ्यर्थियों के मेरिट के अंक समान होने पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार अभ्यर्थन (Candidature) का निर्धारण किया जायेगा।

अतः आप व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होकर निम्नलिखित दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं जांच हेतु मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करें ताकि प्रवेश हेतु आपके अभ्यर्थन (Candidature) पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं देवघर क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्र (3612-P) में उपलब्ध स्थानों के आधार पर विचार किया जा सके :-

1. हाईस्कूल एवं इंटरमिडिएट (+2) अंकपत्र (Marksheet) एवं प्रमाण-पत्र (Certificate) की प्रमाणित छाया प्रतियाँ एवं मूल प्रतियाँ।
2. स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अंकपत्र (Marksheet) एवं प्रमाण-पत्र (Certificate) की प्रमाणित छाया प्रतियाँ एवं मूल प्रतियाँ।
3. जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ी जाति-नॉन क्रीमीलेयर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये) की मूल प्रति एवं प्रमाणित छायाप्रति।
4. अन्य पिछड़े वर्ग (नान क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी : ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फार्म में अन्य पिछड़े वर्ग (नान क्रीमीलेयर) भरा था, उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) का छः माह के अन्दर का बना हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र छः माह से पूर्व का है तो उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया पिछले छः माह के भीतर का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. विकलांग श्रेणी के लिये विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं प्रमाणित छायाप्रति।
6. अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ (Original) तथा प्रमाणित छाया प्रतियाँ भूतपूर्व सभी स्कूलों के लिये।
7. रोजगार प्रमाण-पत्र (Employment Certificate) की मूल प्रति वर्तमान स्कूल द्वारा प्रवेश निर्देशिका में दिए गए प्रारूप के अनुसार (अनुलग्नक-1)।
8. भूतपूर्व तथा वर्तमान स्कूल द्वारा जारी किये गये नियुक्ति पत्रों (नियुक्त की तिथि, पद, वेतन दर्शाते हुए) की मूल प्रतियाँ तथा प्रमाणित छाया प्रतियाँ। यदि आप पारा शिक्षक की तरह कार्यरत हैं तो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन प्रक्रिया प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रति (प्रधानाचार्य के द्वारा) मूल रजिस्टर एवं अद्यतन बैंक पासबुक के साथ लाना अनिवार्य है।
9. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को जारी किए गये मान्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियाँ (शासकीय स्कूल को छोड़कर) उन सभी वर्षों के लिए जिनका अनुभव आपके द्वारा दर्शाया गया है।
10. मूल प्रवेश परीक्षा पत्र (IGNOU- BED Entrance Admit Card in original)
11. वर्तमान की एक पासपोर्ट साइज की फोटो।

12. **रु. 20,000/-** (रूपये बीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट **इग्नू (IGNOU)** के नाम पर देवघर (DEOGHAR) में देय हो।
13. अभ्यर्थी एवं अभिभावक द्वारा **रैगिंग नहीं करने से संबंधित मूल शपथ-पत्र** नोटरी द्वारा प्रमाणित **10 रु0 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर** पर, प्रवेश निर्देशिका में दिए गए प्रारूप के अनुसार (अनुलग्नक 2 एवं 3)।
14. सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा बी.एड. **प्रायोगिक कार्य हेतु शिक्षण व्यवस्था अनुमति** दिये जाने हेतु **मूल प्रमाण पत्र** (अनुलग्नक-4 में दिये गये प्रारूप के अनुसार)।
15. परामर्शदाता के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-5 में दिये गये प्रारूप के अनुसार)।
16. महिला अभ्यर्थियों का विवाह के कारण यदि उपनाम (**SURNAME**) परिवर्तित हो गया हो तो उसे प्रयुक्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों अनिवार्यतः जमा करना होगा:-
 - (i) विवाह प्रमाण पत्र (**रजिस्ट्रार (विवाह) के द्वारा जारी किया गया**) की सत्यापित छायाप्रति।
 - (ii) नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया शपथ-पत्र एवं राजपत्र की छायाप्रति जिसमें आपका नाम उल्लेखित हो।
 - (iii) दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचना की मूल प्रति नाम/उपनाम, परिवर्तित होने संबंधित।
 - (iv) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (नाम परिवर्तन हेतु) द्वारा जारी किया गया उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
 - (v) नाम/उपनाम परिवर्तन को दर्शाती हुयी गजट अधिसूचना।

नोट:- यदि बिन्दु क्रमांक 16 के अनुसार दस्तावेज नहीं हो तो 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित नाम ही मान्य होगा।

17. यदि हाई स्कूल तथा अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों में उपनाम/नामाक्षर में **भिन्नता** हो तो इस आशय का **मूल शपथ पत्र प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी (1st Class Judicial Magistrate) के समक्ष** बनवाकर प्रस्तुत करें।

ज्ञातव्य है कि अतिथि/अंशकालिक/अवैतनिक शिक्षक विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश के पात्र नहीं होंगे तथा अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव मान्यता प्राप्त/सरकारी स्कूल में 08 अगस्त 2013 को 2 वर्ष अवश्य पूर्ण होना चाहिये एवं उसे वर्तमान में भी कार्यरत होना चाहिये। काउंसलिंग अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको की मेरिट के अनुसार घटते क्रम में होगी। यदि कोई अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होता है या अनिवार्य दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट काउंसलिंग के दिन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह स्थान मेरिट में उपस्थित दूसरे अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। अतः निश्चित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर निर्धारित प्रमाण पत्र, शुल्क जमा करें अन्यथा आपका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।

ज्ञात रहे कि काउंसलिंग के समय एवं दिनांक में किसी भी प्रकार का विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ विश्वविद्यालय काउंसलिंग पत्र के डाक द्वारा विलंब से पहुँचने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

यह बुलावा पत्र औपबंधिक है तथा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों पर आधारित है। **अशासकीय शिक्षण संस्था** से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए :- संस्था संचालन की मान्यता के लिए संस्था द्वारा प्रतिवर्ष नवीनीकरण के समय संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षक/कर्मचारियों की शाला में नियुक्ति होने से संबंधित जानकारी संस्था द्वारा नस्ती के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिया जाना अनिवार्य है। विद्यालय के शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में शाला के समस्त पदस्थ प्राचार्य/शिक्षक/कर्मचारियों का नाम शिक्षक उपस्थिति पंजी में होना आवश्यक है। यदि भविष्य में जांच कराये जाने पर योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र असत्य पाए गए तो आपका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

भवदीय

क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी)